# सराहनीय कार्य

## इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

**प्रेस नोट- दिनांक 13.08.2025**

**अपराध नियंत्रण की दिशा मे कार्य करते हुये इटावा पुलिस द्वारा असलहा खरीद फरोख्त करने वाले 05 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ,**

**कब्जे से 03 अवैध तमंचा, 02 जिंदा व 02 मिस कारतूस 315 बोर, 01 मोबाइल तथा 01 मोटरसाइकिल की गयी बरामद ।**

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन में इटावा पुलिस **थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा** की गयी कार्यवाही ।

**घटना/ गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-**

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम मे दिनांक 12./3.08.2025 की रात्रि को थाना सिविल लाइन पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी । इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति स्टेशन के पीछे मजार के बगल मे बने पुराने पार्क मे बने फुव्बारे के गडडे मे बैठकर अवैध असलहा खरीद फरोख्त कर रहे है । सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा **अभियुक्तगण डेविड सोनी पुत्र स्व0 हरिनरायण, सूरज उर्फ रूद्रा यादव पुत्र दीप सिंह, अरविन्द पुत्र जनक सिंह, एकलव्य शर्मा उर्फ माही पुत्र अनिल कुमार शर्मा, अकबर अली पुत्र भूरे अली को स्टेशन के पीछे मजार के बगल मे बने पुराने पार्क मे बने फुव्बारे के पास से गिरफ्तार किया गया ।**

**पुलिस पूछताछः-**

पकड़े गये अभियुक्तों से नाम पता पूछते हुये उनकी तलाशी ली गयी तो उनके कब्जे से 02 तमंचा .315 बोर व 02 कारतूस .315 बोर मिस व एक मोबाइल फोन वीवो रंग नीला, 3000/- रुपये नगद बरामद किये गये व अकबर अली पुत्र भूरे अली से 01 तमंचा .315 बोर व 02 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया ।

पुलिस टीम द्वारा कड़ाई से पूछताछ की गयी तो चारों अभियुक्तो ने बताया कि दिनांक 02.08.2025 को अकबर अली ने पिस्टल खरीदने के लिये हमे 61,000/- रूपये दिये थे परन्तू किसी कारणवश हमे पिस्टल नही मिल सकी तो अकबर अली हमारी शिकायत करने के लिये कहने लगा । तो आज हमने अकबर अली को पिस्टल के बदले तमंचा दे दिया है । तत्पश्चात अकबर अली ने बताया कि मेरी मेरे गाँव में दुश्मनी चल रही है तथा मेरे ससुराल वालों ने भी मुझ पर मुकदमा लिखा रखा है । इसीलिये मैं इन लोगों से अपनी सुरक्षा हेतु रखने के लिये पिस्टल खरीद रहा था तथा मैं ग्राम कुम्हावर थाना सैफई की मस्जिद में इमाम का काम कर रहा हूँ ।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 12.08.2025 को वादी अकबर अली पुत्र भूरे अली नि0 वीरपुर बरियार थाना मुढाँपाडे जनपद मुरादाबाद हाल पता इमाम, ग्राम कुम्हावर मस्जिद थाना सैफई जनपद इटावा ने थाना सिविल लाइन पर तहरीर दी थी कि मैने सूरज यादव को असलहे का लाइसेन्स बनवाने लिये 61,000/- रुपये दिये थे तथा उसने मेरा लाइसेन्स नही बनवाया तथा ना ही मेरे पैस वापस कर रहा है । जिसके संबंध मे थाना सिविल लाइन पर **मु0अ0सं0 149/2025 धारा 316(2)/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था ।**

उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के संबंध मे थाना सिविल लाइन पर **मु0अ0सं0 151/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट** ***(बनाम अकबर अली वादी मु0अ0सं0 149/25)*** पंजीकृत किया गया **तथा** पंजीकृत अभियोग **मु0अ0सं0 149/2025 धारा 316(2)/351(2) बीएनएस मे धारा 3(5)/317(2) बीएनएस व धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट** की बढ़ोत्तरी की गयी ।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण:-**

1. डेविड सोनी पुत्र स्व0 हरिनरायण नि0 मोहल्ला रामगंज थाना कोतवाली **उम्र करीब 25 वर्ष**
2. सूरज उर्फ रूद्रा यादव पुत्र दीप सिंह निवासी मडैया शिवनारायण थाना कोतवाली जनपद इटावा **उम्र करीब 19 वर्ष।**
3. अरविन्द पुत्र जनक सिंह निवासी मलियन टोला थाना कोतवाली जनपद इटावा **उम्र करीब 23 वर्ष।**
4. एकलव्य शर्मा उर्फ माही पुत्र अनिल कुमार शर्मा नि0 ग्राम कुम्हावर थाना सैफई जनपद इटावा **उम्र करीब 19 वर्ष**
5. अकबर अली पुत्र भूरे अली नि0 वीरपुर बरियार थाना मुढाँपाडे जनपद मुरादाबाद **उम्र करीब 37 वर्ष।**

**पंजीकृत अभियोग:-**

1. मु0अ0सं0 149/2025 धारा 3(5)/316(2)/351(2)/317(2) बीएनएस व 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।
2. मु0अ0सं0 151/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।

**आपराधिक इतिहास:-**

***अभियुक्त – डेविड सोनी पुत्र स्व0 हरिनरायण***

1- मु0अ0सं0 83/2020 धारा 380/411 भादवि थाना चौबिया जनपद इटावा।
2- मु0अ0सं0 253/2021 धारा 307/420/467/482 भादवि थाना भरथना जनपद इटावा।
3- मु0अ0सं0 432/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फ्रे0का0 जनपद इटावा।
4- मु0अ0सं0 121/2024 धारा 307/411/413/414/420/465 भादवि व 3/25/27 ए एक्ट थाना फ्रे0का0 जनपद इटावा।
5- मु0अ0सं0 287/2021 धारा 342/376डी/394/411/414/452 भादवि थाना फ्रे0का0 जनपद इटावा।
6- मु0अ0सं0 305/2020 धारा 392/411 भादवि थाना फ्रे0का0 जनपद इटावा।
7- मु0अ0सं0 62/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बढ़पुरा जनपद इटावा।
8- मु0अ0सं0 43/2024 धारा 393 भादवि थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।
9- मु0अ0सं0 144/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना उसराहर जनपद इटावा।
10- मु0अ0सं0 276/20 धारा 380/411 भादवि थाना फ्रे0का0 जनपद इटावा।
11- मु0अ0सं0 105/25 धारा 115(2)/324/(4)/351(3)/352 बीएन एस थाना भरथना जनपद इटावा।
12- मु0अ0सं0 79/2024 धारा 392/411 भादवि थाना फ्रे0का0 जनपद इटावा।
13- मु0अ0सं0 225/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर थाना फ्रे0का जनपद इटावा।
14- मु0अ0सं0 149/2025 धारा 3(5)/316(2)/351(2)/317(2) बीएनएस व 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।

***अभियुक्त – सूरज उर्फ रूद्रा यादव पुत्र दीप सिंह***

1- मु0अ0सं0 149/2025 धारा 3(5)/316(2)/351(2)/317(2) बीएनएस व 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।

***अभियुक्त – अरविन्द पुत्र जनक सिंह***

1- मु0अ0सं0 149/2025 धारा 3(5)/316(2)/351(2)/317(2) बीएनएस व 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना सिविल लाइन। जनपद इटावा।

***अभियुक्त – एकलव्य शर्मा उर्फ माही  पुत्र अनिल कुमार शर्मा***

1- मु0अ0सं0 149/2025 धारा 3(5)/316(2)/351(2)/317(2) बीएनएस व 3/5/25 आर्म्स एक्ट  थाना सिविल लाइन। जनपद इटावा।

***अभियुक्त – अकबर अली पुत्र भूरे अली***

1- मु0अ0सं0 151/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिविल लाइन जनपद इटावा

**बरामदगी:-**

1. 03 तमंचा .315 बोर
2. 02 जिंदा कारतूस 315 बोर।
3. 04 मिस कारतूस 01 तमंचा .315 बोर
4. 01 मोबाइल VIVO कम्पनी
5. 01 मो0सा0 अपाचे  **( सीज अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट)**

**पुलिस टीम:** प्र0नि0 श्री सूनील कुमार थाना सिविल लाइन, उ0नि0 संजय़ यादव, उ0नि0 मोहनवीर सिंह, हे0का0 पुष्कर शुक्ल, का0 हतेश वर्मा, का0 कमरुद्दीन, का0 रामनरेश, का0 ओमप्रकाश ।